न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शिवपुरी निग/3464–III/–15

1. हनुमतसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह,
2. चन्दनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
3. बृजमोहनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
4. साहबसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
   निवासीगण ग्राम नरौआ, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. हंसमुखी पत्नी रामकिशन,
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामा,
3. निवासीगण ग्राम नरौआ, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—— .अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि .... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

23/10/15

न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2014–15/अ–70 में पारित आदेश पत्रिकाएं दिनांक 12.08.2015 एवं 14.08.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा जन–सुनवाई में एक आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उनके प्रकरण में कार्यवाही की जाये, जबकि यह आवेदन पत्र न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में न्यायालयीन कार्यवाही उक्त शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर नहीं की जा सकती थी।
2. यहकि, विवादित भूमि आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर अनावेदकगण का लेशमात्र कब्जा नहीं रहा है। किन्तु इसके बावजूद प्रकरण में विधिवत कार्यवाही किये बिना तथा स्थल की जॉच किये बिना, जो आदेश तहसीलदार नरवर द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 2752/III/2015 प्रस्तुत किया था। जो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3464–तीन/2015 जिला शिवपुरी

हनुमतसिंह आदि विरूद्ध हंसमुखी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–11–2015	आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 23/2014–15/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 12–8–2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदकगण ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की है। विवादित भूमि आवेदकगण की स्वत्व स्वामित्व की भूमि की जिसपर अनावेदकगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय में नायब तहसीलदार ने पूर्व में प्रचलित आदेश की विरूद्ध निगरानी की थी जिसमें दिनांक 26–8–15 को स्वीकार मौके के जांच उपरांत उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करने के आदेश दिये थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश का पालन किये बिना ही कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–8–15 निरस्त किया जाये। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के	

परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालय की सत्यापित आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदकगण ने अपने निगरानी मेमों एवं तर्क में तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–8–15 एवं 14–8–15 को अपास्त करने का अनुरोध किया है। प्रकरण के साथ उपलब्ध उपरोक्त दोनों आदेश पत्रिकाओं की सत्यापति प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 12–8–15 को मात्र पटवारी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं तथा आगामी पेशी दिनांक 14–8–15 को पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं करने से पुर्व पेशी का पालन करने के निर्देश दिये हैं। उपरोक्त दोनों ही आदेशों में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि की जाना परिलक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26–8–15 के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया, इस संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदक यह भी बताने में असमर्थ रहे कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर इस न्यायालय की प्रति प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु आवेदन दिया था। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी औचित्यहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर